न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–41/2019 दर्ज तिथिः–04.09.2019

1. दुर्गाराम पुत्र केनाराम
   जाति जाट निवासी सुदाबेरी खूर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. रतना पुत्र दाना
2. पैलाद पुत्र दानाराम
3. जुजाराम पुत्र चुतराराम
4. मगाराम पुत्र चुतराराम
5. मालाराम पुत्र गजाराम
6. हुकमाराम पुत्र गजाराम
7. पुरखाराम पुत्र गजाराम

.................असल प्रतिवादीगण

8. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
9. प्रबन्धक,बीसीसीबी शाखा धोरीमना
10. प्रबन्धक, एसबीआई शाखा धोरीमना
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–01.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत [illegible] पेश किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 31/40.695 [illegible] बा.सो.वाके ग्राम सुदाबेरी खूर्द, खसरा संख्या 79/9.0326 हैक्टेयर बा.सो. [illegible] शंकरपुरा, पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर [illegible] अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवा[illegible] की शामलाती कब्जे काश्त [illegible] की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का [illegible] मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 10 के सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वाद में वादी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 08.08.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू–धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1576 दिनांक 26.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1576 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 11.06.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक कोर्ट / 2025 / 1426–1433 दिनांक 10.06..2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 11.06.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त [illegible] मौके पर उपस्थित रहे। उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। समस्त वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

3. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण वकुलाय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2070–2073 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 31 / 40.6951 है0 किस्म बा.सो.वाके ग्राम सुदाबेरी खूर्द, खसरा संख्या 79 / 9.0326 है0किस्म बा.सोयम वाके ग्राम शंकरपुरा, पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आ[illegible] एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है [illegible] किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। [illegible] खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करे तो बेशक [illegible]दार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकरीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकरीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 31 / 40.6951 है0 किस्म बा.सो.वाके ग्राम सुदाबेरी खूर्द, खसरा संख्या 79 / 9.0326 है0किस्म बा.सोयम वाके ग्राम शंकरपुरा, पटवार हल्का सुदाबेरी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सुदाबेरी का खसरा संख्या 79

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
दुर्गाराम पुत्र केनाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह.खातेदार	पूर्ण	79	2.1853	बा.सो.	0.65	केसरिया
		1	2.1853		0.65	
कलाराम, खेराजराम, पेमाराम,मगाराम पुत्र रतनाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह.खातेदार	पूर्ण	79	2.1853	बा.सो.	0.66	हरा
		1	2.1853	बा.सो.	0.66	
पैलाद पुत्र दाना जुंजा पुत्र चुतरा मघा पुत्र चुतरा पुरखा पुत्र गजाराम मालाराम पुत्र गजाराम हुकमाराम पुत्र गजाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह खातेदार	1/2 1/2 1/2 1/10 1/10 1/5	79	4.3707	बा.सो.	1.31	आसमानी
		1	4.3707	बा.सो.	1.31	
संयुक्त खातेदारी रास्ते हेतु	पूर्ण	79	0.2912		0.09	काला

ग्राम सुदाबेरी खूर्द पटवार हल्का सुदाबेरी खसरा संख्या 31 का विभाजन

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
दुर्गाराम पुत्र केनाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह.खातेदार	पूर्ण	31	3.8850	बा.सो.	1.16	केसरिया
		[illegible]	[illegible]		0.32	
			[illegible]3496		1.00	
		3[illegible]	[illegible]		2.48	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (stamp): [illegible] कलक्टर
SDO धोरीमना

दुर्गाराम बनाम रतनाराम
2019/00088
निर्णय दिनांकः–01.07.2025

खेराज पुत्र रतनाराम पैमाराम पुत्र रतनाराम मगाराम पुत्र रतनाराम धनी देवी पत्नी खेराज कौम जाट सा.देह.खाते	1/2 1/4 17057/332116 16493/83029	31 31 31	3.4803 4.2087 3.0274	बा.सो.	1.04 1.26 0.90	हरा
		3	10.7164	बा.सो.	3.20	
पैलाद पुत्र दाना पुरखा पुत्र गजाराम मालाराम पुत्र गजाराम हुकमाराम पुत्र गजाराम जुंजा पुत्र चुतरा मघा पुत्र चुतरा कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह खातेदार	1/2 1/10 1/10 1/5 1/20 1/20	31 31 31	6.7987 1.8939 12.7404	बा.सो.	2.04 0.56 3.86	आसमानी
		3	21.433	बा.सो.	6.46	
संयुक्त खातेदारी रास्ते हेतु	पूर्ण	31	0.2428		0.07	काला

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested

दुर्गाराम बनाम रतनाराम
2019 / 00088
निर्णय दिनांकः—01.07.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—41 / 2019 दर्ज तिथिः—04.09.2019

1. दुर्गाराम पुत्र केनाराम
   जाति जाट निवासी सुदाबेरी खूर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. रतना पुत्र दाना
2. पैलाद पुत्र दानाराम
3. जुजाराम पुत्र चुतराराम
4. मगाराम पुत्र चुतराराम
5. मालाराम पुत्र गजाराम
6. हुकमाराम पुत्र गजाराम
7. पुरखाराम पुत्र गजाराम

..................असल प्रतिवादीगण

8. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
9. प्रबन्धक,बीसीसीबी शाखा धोरीमना
10. प्रबन्धक, एसबीआई शाखा धोरीमना
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 31 / 40.6951 है0 किस्म बा.सो.वाके [illegible] खसरा संख्या 79 / 9.0326 है0किस्म बा.सोयम वाके ग्रा[illegible]रा, पटवार हल्का सुदाबेरी धोरीमन्ना तहसील [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस [illegible] अंकित [illegible]नुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षका[illegible] रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्[illegible] दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सुदाबेरी का खसरा संख्या 79

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
दुर्गाराम पुत्र केनाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह.खातेदार	पूर्ण	79	2.1853	बा.सो.	0.65	केसरिया
		1	2.1853		0.65	
कलाराम, खेराजराम, पेमाराम,मगाराम पुत्र रतनाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह.खातेदार	पूर्ण	79	2.1853	बा.सो.	0.66	हरा
		1	2.1853	बा.सो.	0.66	
पैलाद पुत्र दाना जुंजा पुत्र चुतरा मघा पुत्र चुतरा पुरखा पुत्र गजाराम मालाराम पुत्र गजाराम हुकमाराम पुत्र गजाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह खातेदार	1/2 1/2 1/2 1/10 1/10 1/5	79	4.3707	बा.सो.	1.31	आसमानी
		1	4.3707	बा.सो.	1.31	
संयुक्त खातेदारी रास्ते हेतु	पूर्ण	79	0.2912		0.09	काला

ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार हल्का सुदाबेरी खसरा संख्या 31 का विभाजन

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
दुर्गाराम पुत्र केनाराम कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह.खातेदार	पूर्ण	31 31 31	3.8850 1.0683 3.3496	बा.सो.	1.16 0.32 1.00	केसरिया
		3	8.3029		2.48	
खेराज पुत्र रतनाराम पैमाराम पुत्र रतनाराम मगाराम पुत्र रतनाराम धनी देवी पत्नी खेराज कौम जाट सा.देह.खाते	1/2 1/4 17057/332116 16493/83029	31 31 31	3.4803 4.2087 3.0274	बा.सो.	1.04 1.26 0.90	हरा
		3	10.7164	बा.सो.	3.20	
पैलाद पुत्र दाना पुरखा पुत्र गजाराम मालाराम पुत्र गजाराम हुकमाराम पुत्र गजाराम जुंजा पुत्र चुतरा मघा पुत्र चुतरा कौम जाट ग्राम शंकरपुरा सा.देह खातेदार	1/2 1/10 1/10 1/5 1/20 1/20	31 31 31	6.7987 1.8939 12.7404	बा.सो.	2.04 0.56 3.86	आसमानी
		3	21.433	बा.सो.	6.46	
संयुक्त खातेदारी रास्ते हेतु	पूर्ण	[illegible]	[illegible]2428		0.07	काला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने [illegible] की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को ज[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

दुर्गाराम बनाम रतनाराम
2019 / 00088
निर्णय दिनांकः—01.07.2025

कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

1/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested